न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2021 (रसद) (GCMS 2021/169)	05.04.2021	02.11.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मुरलीधर पिता ओमप्रकाश छीपा निवासी बागुण्ड पुलिस थाना भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेद प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.02.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा एक तहरीर दी गई व बताया कि उक्त तहरीर थाना भादसौडा से प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी एवं मंजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी पुलिस थाना भादसौडा पर पहुँचें, थाना भादसौडा के इंचार्ज भैरूलाल से डिटेन शुदा सामग्री के बारे में पूछने पर उनके द्वारा डिटेन की गई सामग्री का मापन किया गया तो एक लोहे के ड्रम में कुल 70 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ तथा दो प्लास्टिक की जरीकेनों में 40-40 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ तथा एक सफेद प्लास्टिक की जरीकेन में 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया साथ ही एक पाँच फीट लम्बा प्लास्टिक का पाईप, एक पाँच फीट लम्बा प्लास्टिक का पाईप नोजल लगा हुआ, काले रंग की थैली में लाल रंग का केमलिकल पाया गया, उक्त डिटेन शुदा सामग्री को आवेदक द्वारा अभिग्रहित किया गया तथा पेट्रोलियम पदार्थ का मौके पर नमूना लिया गया, नमूना ए-1 पुलिस थाना भादसौडा के वास्ते जाँच हेतु सुपुर्दगी में दिया गया तथा ए-2, ए-3 सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिये गये। जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 170 लीटर पेट्रोलियम मय बारदान, लोहे का नोजल लगा हुआ

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पाईप, प्लास्टिक का पाईप, लाल रंग का केमिकल काली थैली में मात्रा एक किग्रा. पुलिस थाना भादसौडा की सुपुर्दगी में दिया गया। पुलिस ने अपनी तहरीर में बताया कि उक्त डिटेन शुदा पेट्रोलियम पदार्थ सांवलिया होटल सरहद बागुण्ड से मुरलीधर पिता ओमप्रकाश छीपा उम्र 31 साल निवासी बागुण्ड पुलिस थाना भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ के कब्जे में लिया गया था तथा मुरलीधर के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण विक्रय आदि के संबंध में वैद्य दस्तावेज होना नहीं पाया गया। दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाना भादसौडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुरलीधर द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के बिना दस्तावेज के अवैध भण्डारण, विक्रय किया जाना पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत दण्डनीय हैं। अंत में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा 170 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम तथा प्लास्टिक केनों को एवं प्लास्टिक पाईप को राजसात करने की कृपा करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। इस पर दिनांक 15.09.2021 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 02.11.2021 को हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रुप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विकय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एकतरफा पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एकतरफा पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना प्रमाणित हैं एवं विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाये जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिवर्ज किया गया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एकतरफा पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना प्रमाणित हैं ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 170 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम तथा प्लास्टिक केनों को एवं प्लास्टिक पाईप राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं पुलिस थाना भादसौडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 023/2021 दिनांक 11.02.2021 में दिनांक 11.02.2021 को जब्तशुदा 170 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम तथा प्लास्टिक केनों को एवं प्लास्टिक पाईप को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 170 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम तथा प्लास्टिक केनों को एवं प्लास्टिक पाईप को थानाधिकारी, पुलिस थाना भादसौडा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़